IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वंचित वर्ग के बालकों का शैक्षिक उन्नयन

(EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE DEPRIEVED CHILDREN)

डा0 सुनीता गौड़

असि0 प्रोफेसर (शिक्षा संकाय)

डी.पी.बी.एस. पी.जी. कालिज

अनूपशहर– 203390, बुलन्दशहर (उ0प्र0)

डा0 के.सी.गौड़

अध्यक्ष (शिक्षा संकाय)

डी.पी.बी.एस. पी.जी. कालेज

अनूपशहर– 203390, बुलन्दशहर (उ0प्र0)

If Democracy is really to be effective and guarantee to all individual is the right to develop to the fullest extent, Education has to be Universal and free."

(Humayun Kabir)

सारांश

'वंचित' से तात्पर्य है– विहीन होना, रहित होना। जब कोई व्यक्ति किसी सुविधा से महरूम या रहित हो जाता है तो वह उस सुविधा से वंचित कहलायेगा। जब व्यक्ति अपनी किसी अनिवार्य आवश्यकता या सुविधा से वंचित हो जाता है, तब उसमें असन्तोष जन्म ले लेता है।

मुख्य शब्दः– वंचित, विकलांगता, सांस्कृतिक, सामाजिक, संविधान, प्रावधान।

प्रस्तावनाः–

हमारे देश भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की जातियॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च सामाजिक स्तर, उच्च संस्कृति और सामान्य आर्थिक स्थिति से वंचित हैं। इस दृष्टि से इस वर्ग में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियॉ (S.Cs.) तथा अनुसूचित जन जातियॉ (S.Ts) ही आती हैं। हमारे देश में अभी तक मन्द बुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। शैक्षिक दृष्टि से इन्हें भी वंचित वर्ग में रखा जाता है। वोट की राजनीति ने अल्पसंख्यकों को भी वंचित, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित कर दिया है।

वंचित वर्ग का अर्थ एवं प्रकारः–

वंचित वर्ग के बालक से आशय यह है कि आवश्यक वस्तुओं से रहित या विहीन होना है। अर्थात् बालक को मिलने वाली सुविधाओं से रहित किया गया है। बालक प्रायः निम्नलिखित रूप से वंचित हो सकते हैः–

बालक प्रायः निम्नलिखित रूप से वंचित हो सकते हैं:–

- शारीरिक विकलांगता (Physical Disability)
- मानसिक विकलांगता (Mental Disability)
- आर्थिक दृष्टि से विकलांगता (Economically Deprieved)
- सामाजिक दृष्टि से विकलांगता (Socially Disability)
- सांस्कृतिक दृष्टि से विकलांगता (Culturally Deprieved)
- माता–पिता के स्नेह से वंचित (Deprieved of Parental Love)

वंचित बालकों के प्रकारः–

वर्तमान में हम सब वंचित, पिछड़े या कमजोर वर्ग की शिाक्षा की बात करते हैं तो उसमें निम्नलिखित वर्गों की शिक्षा आती है–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा।
- पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा।
- बालिकाओं की शिक्षा।
- मन्द बुद्धि एवं विकलांगों की शिक्षा।
- अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा।

भारत में वंचित, पिछड़े व कमजोर वर्ग की शिक्षाः–

भारत में वंचित, पिछड़े व कमजोर वर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा आती है। सामाजिक न्याय और शैक्षिक अवसरों की सामानता की प्राप्ति के लिए इन वर्गों में आने वाले बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। यहॉ इन सब वर्गों में आने वाले बच्चों की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। यहॉ इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन प्रस्तुत है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों की शिक्षाः–

भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियॉ पूरे देश में फैली हैं। इनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः लगभग 23 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है। इस प्रकार इस वर्ग में लगभग 30 प्रतिशत भारतीय आते हैं। भारतीय संविधान में इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा तथा धर्म सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से संरक्षाण करेगा इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सर्वप्रथम 1960 में यू0एन0ढेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था। जिसे ढेबर कमीशन कहते हैं, इसने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र व मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था का भी सुझाव दिया था।

कोठारी कमीशन (1964–66) ने इस वर्ग की शिक्षा पर थोड़े विस्तार से सुझाव दिए थे। जिनमें ढेबर कमीशन के सुझावों के पालन के साथ–साथ कबीलों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने और आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय एवं निःशुल्क आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूल खोलने पर विशेष बल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में तदनुकूल घोषणाऐं की गई थीं और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों और कबीलों के बच्चों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया गया था और साथ ही आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूलों की स्थापना की शुरूआत की गयी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु अनेक घोषणाऐं की गई हैं और घोषणाओं के साथ इनके अनुपालन हेतु कार्य योजना POA भी प्रस्तुत की गई है। इनमें मुख्य घोषणाऐं हैं :–

- नगरों, गॉवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
- इन विद्यालयों में यथा सम्भव इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाऐगी।
- दूर–दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाएगी।
- इन वार्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाई जाएगी।
- आदिवासी क्षेत्रों में पहले उनकी भाषा सिखाई जाएगी और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी।

इन घोषणाओं के अनुसार वर्तमान में इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:–

- सर्वशिक्षा अभियान (S.S.A.) के अन्तर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऑगनबाड़ी और नए प्रकार की शिक्षा केन्द्र खोलने की प्राथमिकता दी जा रही है।
- सभी प्रान्तों में इस वर्ग के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें, वस्त्र एवं मध्यान्ह भोजन भी निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।
- इनके लिए छात्रावासों का निर्माण भी किया जा रहा है।
- इस समय केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारों को अनूसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण हेतु ब्लॉक अनुदान देती है। जिसे प्रान्तीय सरकारें विभिन्न क्षेक्षिक योजनाओं पर व्यय करती है।
- माध्यमिक एवं उच्च स्तर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) भी इन वर्गों के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु बड़ी संख्या में जूनियर और सीनियर फैलॉशिप दे रहा है।

पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षाः–

भारत में प्रारम्भ में कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा गया था परन्तु एक तरफ आरक्षण के लोभ में जाति विशेषों ने अपने को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की मॉग की और दूसरी ओर वोट की राजनीति ने अनेक सम्पन्न एवं प्रबुद्ध वर्ग में आने वाली जातियों को इस वर्ग में सम्मिलित कर दिया । यूँ वर्तमान में नाई व कुम्हार आदि कुछ जातियों को छोड़कर कुर्मी, लोधी व यादव आदि जातियॉ इस वर्ग में नहीं आनी चाहिए। ये अर्थ एवं शिक्षा दोनों दृष्टियों से काफी आग्र बढ़ चकी है परन्तु वोट की राजनीति ने इन्हें पिछड़े वर्ग में मान रखा है और सरकार तद्नुकूल इनकी शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग भी प्रदान कर रही है। अतः हम इनकी शिक्षा पर अलग से विचार कर रहे हैं।

यूँ तो हमारे देश में स्वतन्त्र होते ही समस्त वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया था परन्तु समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान संविधान लागू होने के बाद गया। साथ ही देशा के पिछड़े इलाकों, रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाली किसी भी जाति के बच्चों की शिक्षा की तरफ भी गया। कोठारी आयोग (1964–66) ने शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में इनकी शिक्षा नीति, 1968 में स्वीकार किया गया और इस वर्ग में आने वाले क्या, सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की गई उन घोषणाओं में अनुपालन में इनकों शिक्षा सुविधाऐं प्रदान करना शुरू किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस वर्ग में आने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनेक घोषणयें की गई है और साथ ही उनके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना भी घोषित की गई है। इस नीति में इनकी शिक्षा के सन्दर्भ में की गई घोषणओं में मुख्य घोषणाऍ हैं :–

- पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- देश के रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोले जायेंगे।
- पिछड़े वर्ग के बालकों को आर्थिक सहायता जारी रहेगी, साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियॉ दी जायेगी।

इन घोषणाअें और कार्य योजना के अनुसार वर्तमान में पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :–

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को द्वितीय वरीयता दी जा रही है।
- पिछड़े क्षेत्रों में नए प्रकार की शिक्षा के केन्द्र खोलने की वरीयता दी जा रही है। 15–20 बच्चे होने पर ही नए प्रकार का शिक्षा केन्द्र खोल दिया जाता है।
- माध्यमिक एवं उच्चे शिक्षा स्तर पर इनको आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- इस वर्ग के बच्चों के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गयी है।

बालिकाओं की शिक्षा :–

स्वतन्त्र होने के बाद सर्वप्रथम राधाकृष्णन कमीशन (1948–49) ने स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया। 1950 में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबन्ध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। 1951 में बालिका शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य शुरू किया गया। 1958 में केन्द्र सरकार ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इसे अध्यक्ष के नाम पर देशमुख समिति भी कहते हैं। हमने स्त्री शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक सुझाव दिए जिनमें राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था और स्त्री–पुरूषों सबके लिए समान शिक्षा का सुझाव मुख्य थे। सरकार ने 1959 में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन कर इसे स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में नीति एवं योजना का कार्य सोंपा। शिक्षा के संदर्भ में 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इसने भी स्त्री शिक्षा के संदर्भ में लगभग वही सुझाव दिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के प्रचार, प्रसार एवं उन्नयन के लिए निम्नलिखित घोषणायें की गयीं और साथ ही इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई–

- स्त्री–पुरूषों की शिक्षा में भेद नहीं किया जायेगा।
- महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किये जायेंगे। उपर्यक्त घोषणाओं एवं इनके

क्रियान्वयन हेतु बनाई गयी कार्य योजना (POA) के अनुसार वर्तमान में स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :–

- जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है उनमें जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90 प्रतिशत अनुदान देना शुरू किया गया है।
- 1989 में महिला समाख्या कायक्रम शुरू किया गया, जो वर्तमान में 900 ग्रामों में चलाया जा रहा है। इसके द्वारा ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की जा रही है।
- नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।
- माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की सुविधा बढ़ाई जा रही है।
- बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। कुछ प्रान्तों में इनके लिए उच्च शिक्षा भी निःशुल्क है।
- निर्धन वर्ग की छात्राओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
- बालिकाओं के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है–

मन्दबुद्धि एवं शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा :–

सामान्यतः शारीरिक दृष्टि से गूंगे, बहरे, लूले और अन्धे बच्चों को विकलांग कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक दृष्टि से विकलांग और मानसिक दृष्टि से मन्द बुद्धि बच्चों को विकलांग माना जाता है और साथ ही उन बच्चों को भी विकलांग माना जाता है, जो किसी कारण सामाजिक व्यवहार में असामान्य हो गए हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 में हमारे देश में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति विकलांग थे। जो पूरे संसार के विकलांगों के 50 प्रतिशत थे। इनमें लगभग 50 लाख बच्चे ऐसे है। जिनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसके क्षेत्र में सरकार का सबसे पहला कदम 1952 में विकलांग बच्चों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक समस्याओं का समाधान करने हेतु भारतीय बाल कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। अब एक तरफ सरकार के विकलांग बच्चों की कल्याण योजनाऐं शुरू की कोठारी कमीशन 1964–66 ने शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में विकलांग बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया परिणमस्वरूप 1965 से 1975 के बीच इनके लिये लगभग 60 नये विद्यालय स्थापित किये गये। 1981 में केन्द्रीय समाज कल्याण मन्त्रालय ने विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले संस्थाओं को सहायतार्थ तीन योजनाओं की घोषणा की प्रथम शारीरिक पुर्नवास हेतु दूसरी विकलांगता की रोकथाम, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर कक्षा तक अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। 1984 में समाज कल्याण विभाग ने 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किये राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान कलकत्ता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया और उसकी कार्य योजना में यह घोषणा की गई कि:–

- विकलांग एवं मन्द बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे और गूंगे, बहरे, अन्धे तथा मन्द बुद्धि बालकों के लिए अलग से अधिक स्कूल खोले जायेंगे।

उपर्युक्त कार्ययोजना के अनुसार वर्तमान विकलांगों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:–

- विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष तक कर दी गई है।
- केन्द्रीय विकलांग संस्थाओं में विकलांग बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों के शिक्षक के प्रशिक्षण और विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य की व्यवस्था है।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता की जा रही है। इनके सहयोग से 2001 में भारत में लगभग 1000 विकलांग शिक्षा केन्द्र स्थापित हो चुके थे।

अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा:–

भारत में धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। इनमें मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्मावलम्बी और जैन आदि आते हैं परन्तु ईसाई बौद्ध और जैन शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं है। इसलिए जब शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की चर्चा की जाती है तो वह विशेषकर मुसलमान बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है:–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सम्बन्ध में दो प्रावधान किए गए हैं:–

- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरूद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

कोठारी आयोग (1964–66) ने शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करने की घोषणा की गई और तद्नुकूल कुछ ठोस कदम भी उठाए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सन्दर्भ मे स्पष्ट घोषणा की गयी:–

- अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाऐं चलाने का अधिकार होगा परन्तु इनका पाठ्यक्रम प्रान्तीय सरकारों द्वारा निष्चित पाठ्यक्रम ही होगा।
- अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जायेगी।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:–

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की प्राथमिकता दी जा रही है।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- इनकी कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में स्थान दिया गया है और उनको यथा आरक्षण व आर्थिक सुविधऐं प्रदान की जा रही हैं।

निष्कर्ष

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष बाद भी सब जातियों को वंचित, पिछड़े अथवा कमजोर वर्ग में रखना जिन्हें स्वतंत्रत होने के समय इन वर्गों में रखा गया था, यह प्रदर्शित करता है कि ये जातियॉ अभी वंचित, पिछड़ी एवं कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि हमने स्वतन्त्रता के 73 वर्ष में भी इनके उन्नयन के लिए कुछ नहीं किया है। सच बात यह कि ये सब जातियॉ न तो अब उतनी वंचित हैं जितनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी, न तो उतनी पिछड़ी है जितनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी और न उतनी कमजोर हैं जितनी स्वतन्त्रता से पहले थी। अब इनमें सामाजिक एवं राजनैतिक जागरूकता आ गई है, शिक्षा की ओर भी इनकी रूचि बढ़ी है और आर्थिक क्षेत्र में भी उतनी पिछड़ी नहीं है। हॉ।, अनुसूचित जन जातियॉ अभी सभी दृष्टियों से वंचित, पिछड़ी एवं कमजोर हैं। अतः इस सम्बन्ध में एक नवीन सामाजिक क्रान्ति या जनजागरण की घोर आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

- मित्तल. प्रो. एम.एल.2009 उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- लाल रमन बिहारी नवां संस्करण 1992–93 शिक्षा के दार्शनिक और सामाजशास्त्र सिद्धान्त रस्तोगी पब्लिकेशन्स शिवाजी रोड मेरठ।
- पाण्डेय प्रो. के.पी. चतुर्वेदी, डा. शिखा सक्सैना, डा. एन.आर. स्वरूप संस्करण 2006. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर लाल बुक डिपो निकट गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज मेरठ।
- गौड़ डा. सुनीता. गौड़ डा. के.सी. संस्कृत शिक्षण. अरिहन्त प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर, राजस्थान।
- पाण्डेय प्रो. राम शकल. संस्कृत शिक्षण. अगवाल पब्लिकेशन्स आगरा।
- Ottaway A.K.C 1962. Educations society, Leeds.
- Pandey Pro. R.S. 1991. Principles of Educations, Vinod Pustak Mandir Agra.
- Ruhela. S.P. Trends in Modern Indian Education.
- Dewey John. 1966. Democracy and Education, New York Free Press.